न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या : 7/2019 जिला– दौसा

इन्दु पत्नि अजय कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी सोमनाथ नगर, दौसा

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजेश मेंहदीरत्ता पुत्र श्री रामकिशन, जाति पंजाबी, निवासी 277, व्यास मार्ग, गली नं. 5, राजापार्क, जयपुर ।
2. प्रभात पुत्र ग्यारसीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम भण्डाना, तहसील दौसा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा ।

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा, दिनांक 06.06.2018

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलार्थी
2. श्री सत्यनारायण शर्मा , वकील रेस्पोडेन्ट नं.1।

निर्णय

दिनांक – 15.1.2020

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 6.6.2018 के खिलाफ धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार ग्राम भण्डाना, तहसील दौसा की भूमि आराजी खसरा नं. 516/1, रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नं. 521 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 522 रकबा 0.42 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर का खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजेश पुत्र रामकिशन मेंहदीरत्ता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजेश द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत किये जाने सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि भूमि आराजी खसरा नं. 516/1, रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नं. 521 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 522 रकबा 0.42 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर वाके ग्राम भण्डाना एवं भूमि खसरा

नं. 515 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इन्दु व प्रभात की भूमि खसरा नं. 517/3 व 516/2 का प्रार्थी व अप्रार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु आदेश किये जाने की प्रार्थना की ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा आदेश दिनांक 6.6.2018 पारित किया कि "प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाकर तहसीलदार, दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नं. 516/1, 521, 522 कुल 3 किता रकबा 0.57 हैक्टेयर स्थित है एवं खसरा नं. 515, 517 /3 व 516/2 वाके ग्राम भण्डाना तहसील दौसा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कायम करवाये व राजकीय शुल्क नियमानुसार प्रार्थी से प्राप्त करे ।"

उपखण्ड अधिकारी, दौसा के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम भण्डाना स्थित आराजी खसरा नं. 516/2 की खातेदार है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना ही उसकी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने के आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । कानूनन पत्थगढी का प्रार्थना पत्र खातेदार ही पेश कर सकता है । रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का आदेश पारित करना कानून सम्मत नहीं है । उनका कहना था कि खसरा नं. 516/1 की नक्शे में तरमीम नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नक्शे में तरमीम एवं तहसीलदार की रिपोर्ट लिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के पडौसी खातेदारान को भी पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित नहीं है । उनका कहना था कि अपीलान्ट की तामिल कराये बिना इकतरफा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 6.2.2018 को पटवारी हल्का से होने पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट की यह अपील मियाद बाहर है तथा विलम्ब का कारण भी

संतोषजनक नहीं है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जो उनके मकान पर चस्पा कर तामिल कराई गई थी । उनका कहना था कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 इन्दु व प्रभात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 1.11.2015 को सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ था एवं अपीलार्थी उक्त सीमाज्ञान को भी नहीं मान रहे हैं इसलिये रेस्पोंडेन्ट द्वारा राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में टीम गठित की जाकर विवादित भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी नियमानुसार शुल्क लिया जाकर कराने हेतु तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर एवं साहरहीन होने से खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के संबंध में विवाद है । अपीलान्ट ग्राम भण्डाना स्थित आराजी खसरा नं. 516/2 की खातेदार होना बताती हैं जिसकी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के आदेश रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है । प्रकरण के गुणावगुण एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाया जाकर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट की आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी नियमानुसार राजकीय शुल्क लिया जाकर कराने हेतु तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया है । हम समझते हैं कि विधिक रूप से पक्षकारान भूमि के सीमा विवाद को देखते हुये भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी निर्धारित शुल्क जमा कराकर कराने के अधिकारी है और तहसीलदार द्वारा राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराई जाती है ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी न हो । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.6.2018 पारित कर विवादित भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी नियमानुसार राजकीय शुल्क लिया जाकर कराने हेतु तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी, दौसा दिनांक 6.6.2018 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. संभागीय आयुक्त,

जयपुर